भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *349
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

विवाद का समाधान

***349. श्री एम. के. राघवन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों का धीमा निपटान देश में निवेश चक्र को पुनः आरंभ करने में सर्वाधिक बड़ी समस्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनसे विवाद के निपटान तथा समझौते को लागू करने में अड़चन पैदा हो रही है तथा निवेश हतोत्साहित हो रहा है, परियोजनाएं रुक रही हैं, कर संग्रहण में अड़चन पैदा हो रही है, करदाताओं पर दबाव पड़ रहा है तथा विधिक लागतों में बढ़ोतरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कानूनी विलंब को दूर करने तथा आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वर्टिकल सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु एक प्रकार के हॉरिज़ोन्टल सहकारी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से सरकार तथा न्यायपालिका के मध्य की गई समन्वित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

माननीय सासंद श्री एम. के. राघवन द्वारा 'विवाद का समाधान' के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *349 जिसका उत्तर तारीख 17.07.2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : जी हां, सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण में कथित स्थिति की जानकारी है।

(ख) और (ग) : सरकार ने शीघ्रतम, निष्पक्ष रुप से और वादकारी के उचित खर्च पर वाणिज्यिक मामलों के समाधान को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास से वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया और वर्ष 2018 में इस अधिनियम का और संशोधन किया गया, जो किसी वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट पूर्वतर मूल्य को 1.00 करोड़ रुपये से कम करके 3 लाख रुपये तक के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान और मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का उपभोग करते हुए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाता है। "पूर्व-संस्थित मध्यकता और निपटारा" (पीआईएमएस) (एक अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र) के आज्ञापक उपबंध, ऐसे मामलों को, जो अति-आवश्यक अंतरिम अनुतोष पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं करते हैं, न्यायालय से बाहर निपटारे को सुकर बनाने के लिए संशोधित अधिनियम द्वारा भी पुर:स्थापित किया गया है और जो न्यायालयों के कार्यभार को आसान कर देता है। सरकार ने माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को भी संशोधित किया है, जो अन्य बातों के साथ, इसे चुनौती देने के लिए विस्तार को निर्बंधित करके माध्यस्थतम् पंचाट के लिए समय-सीमा, विवादों के त्वरित निपटान को प्रोत्साहित करना, मध्यस्थ की तटस्थता, माध्यस्थतम् पंचाट का समय पर निष्पादन करने का उपबंध करता है। सरकार ने देश में संस्थागत माध्यस्थतम् को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। इस संबंध में, 2 मार्च, 2019 को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम् केंद्र अध्यादेश, 2019 को प्रख्यापित किया गया है। सरकार ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 को भी संशोधित किया है, जो अन्य बातों के साथ, राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कतिपय सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर विशेष न्यायालयों के रुप में अभिहित करने के लिए और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के संबंध में अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए सशक्त करता है। सरकार के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरुप, 31 अक्तूबर, 2018 को जारी की गई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019 में भारत ने 190 अर्थव्यवस्थाओं में से 77वां स्थान प्राप्त किया, जिससे पूर्वतर रिपोर्ट में 100वें स्थान से 23 स्थानों की छलांग लगाई है। संविदा संकेतक प्रवर्तन में, वर्ष 2018 की रिपोर्ट में 164वीं से वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 163वीं श्रेणी पर आने से भारत की रैंकिंग में एक स्थान की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, सरकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए और लंबन को कम करने के लिए भी पूर्णत: प्रतिबद्ध है और सरकार ने न्यायपालिका के सहयोजन से कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक पारिस्थतिकी-तंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई

पहल की हैं । सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक परिदान और न्यायिक सुधार मिशन ने विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए अवसंरचना का सुधार करना, बेहतर न्याय परिदान के लिए संचार और प्रौद्योगकी (आईसीटी) का प्रभावन तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना भी है ।

****